



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 फाल्गुन, 1944 (श०)

संख्या - 105 राँची, सोमवार,

20 फरवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

30 जनवरी, 2023

संख्या-5/आरोप-1-70/2019-18695 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री सौरभ प्रसाद, झांझरसे, (प्रथम बैच, गृह जिला-पू. सिंहभूम), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के विरुद्ध भूमि अधिग्रहण वाद सं०-08/2010-11 में कुल राशि 87,26,900/- रुपये मुआवजा राशि का भुगतान परिवादी श्री मंशा सिंह उर्फ राजेश सिंह को न कर किसी अन्य घसिया उराँव को करने, जानबूझकर निजी स्वार्थवश घसिया उराँव के दावे को स्वीकार करते हुए उसके मेल में आकर अपूर्ण कागजातों के आधार पर भुगतान करने एवं घसिया उराँव एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा कूट रचना कर मुआवजा की राशि की निकासी करने संबंधी आरोप, जैसा कि विभाग द्वारा गठित आरोप-पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री प्रसाद के विरुद्ध प्रपत्र-क में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री प्रसाद को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री प्रसाद द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SOURABH PRASAD 20060400037	श्री सौरभ प्रसाद, झा०प्र०से०, (प्रथम बैच, गृह जिला-पू० सिंहभूम), तत्कालीन जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची, संप्रति जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री सौरभ प्रसाद, झा०प्र०से० एवं श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के अवर सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
